[illegible] 19/2021

[illegible]

[illegible]

अंतिम डिक्री व [illegible]

(आर्डर 21 रूल 6 / [illegible])

आज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला [illegible],
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर संख्या 19/2021

वादीगण–

1. कौशल्या पुत्री आईदानराम
2. सुमित्रा पुत्री आईदानराम ,जातियान–जाट,निवासी–[illegible],तहसील–[illegible], जिला–[illegible]।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. आईदान पुत्र बालूराम , जाति–जाट, निवासी [illegible], तहसील [illegible], जिला [illegible]।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री रामप्रकाश बेन्दा वादीगण की ओर से
2. श्री गोविन्दराम ढाका प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर [illegible] किया जाता है कि –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं [illegible] धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। [illegible] डिक्री इस आशय की तहसीलदार जायल को जारी कर आदेशित किया जाता है कि [illegible] के खेत खसरा नंबर 156, 190, 248 , 202, 260 , 280 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible] सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी कौशल्या के हक बंट कब्जा काश्त में [illegible] खसरा नंबर 156 [illegible] 1.8292 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 190 रकबा [illegible] हैक्टेयर [illegible] खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 सुमित्रा के हक बंट कब्जा काश्त में [illegible] खसरा नंबर 248 रकबा 3.4074 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. शेष खेतान संख्या 202, 260 , 280 यथावत प्रतिवादी संख्या 1 के हक [illegible] है।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर [illegible] अधिकारी
[illegible]

4

Scanned with CamScanner